ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता —: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 4508 / 12-1-2 दिनांक, 1 – 6 /2022 ::

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण, निगम
रूद्रप्रयाग।

विषयः— **रुद्रप्रयाग नगर पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 2.0951 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.-FP/UK/WATER/42099/2019**

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.05.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षणोपरान्त प्रकरण के चयनित संरेखण की वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली तथा परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई के0एम0एल0 फाईल का ऑनलाईन अवलोकन करने पर अत्यधिक भिन्नता पाई गई।

1. प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल एवं बारचार्ट तथा लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र में आरक्षित वन रुद्रप्रयाग रिजर्व क0सं0—1 के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल 0.1613 है0 लम्बाई 2355 मीटर, वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल 0.070 है0 लम्बाई 778 मीटर, सिविल भूमि क्षेत्रफल 1.8638 है0 लम्बाई 17736 मीटर तथा नाप भूमि नहीं दर्शाई गई है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न दिनांक 17.07.2019 को किये गये निरीक्षण/फील्ड रिपोर्ट में राजस्व उप निरीक्षक तिलणी द्वारा ग्राम लमेरी एवं तूना की नाप भूमि दर्शाई गई है तथा के0एम0एल0 फाईल में आरक्षित वन भूमि कहीं भी प्रभावित होना नहीं दर्शाई गयी है।

2. के0एम0एल0 फाईल का ऑनलाईन परीक्षण करने पर निम्न प्रकार अलग—अलग रंगों से सम्पूर्ण परियोजना की लम्बाई दर्शाई गई है—

के0एम0एल0 के अनुसार विभिन्न रंगों में दर्शाई गई लाईनों का विवरण			
लाल रंग	**लम्बाई (किमी0)**	**हरे रंग**	**लम्बाई (किमी0)**
main line	14.90	distribution line	0.170
Total	**14.90 + 0.17 = 15.07 km.**		

3. प्रस्ताव में संलग्न लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र में कुल परियोजना की लम्बाई (आरक्षित वन भूमि—2355 मीटर, सिविल भूमि—17736 मीटर एवं वन पंचायत भूमि—778 मीटर) 20.869 किमी0 दर्शाई गई है, जबकि के0एम0फाईल में परियोजना की कुल लम्बाई 15.07 किमी0 ही दर्शाई गई है। स्थिति स्पष्ट करें।

क्रमशः—2 पर

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में स्पष्ट करायें कि आप द्वारा प्रेषित किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न संबंधित प्रमाण पत्र वास्तविक रुप से सही हैं या ऑनलाईन अपलोड की गई के0एम0एल0 फाईल सही है। उक्त भिन्नता को दूर करने हेतु चयनित संरेखण का संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से सम्पर्क कर पुनः संयुक्त निरीक्षण करवाकर परियोजना की वास्तविक लम्बाई के अनुसार ही संबंधित समस्त प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाईल प्रेषित करें, तत्पश्चात् प्रकरण में इस स्तर से कार्यवाही की जानी संभव होगी।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 4508 **/दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग रेंज को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य हेतु सहयोग प्रदान कर सूचना/रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।